

भारत सरकार/Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy  
(आईआरएंडडब्ल्यू अनुभाग/IR&W Section)

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,  
छ शि.म मार्ग/C.S.M Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No.7/8/2009-आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/39

मार्च/March 26, 2010

विषय : सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेतु हकदारी का  
पुनर्वर्गीकरण  
Subject : Re-classification of entitlement of Hospital  
accommodation under CHSS.

\*\*\*\*\*

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किए जाने के कारण सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेतु हकदारी के पुनर्वर्गीकरण के मामले पर विभाग में विचार किया गया। सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएचएसएस के अंतर्गत अस्पताल आवास हेतु हकदारी को निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

Consequent on the revision of pay of employees as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, the issue of re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS was considered in the Department. After considering all aspects it has been decided to reclassify the entitlement of Hospital accommodation under CHSS as follows:-

क्र. सं. Sl.No.	कर्मचारियों की श्रेणी Category of Employees	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैंड से कम अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band of less than Rs. 15000/- per month or the equivalent pay in the pre-revised scale.	एक कमरे में चार बेड तथा कॉमन टायलेट/बाथरूम Four beds in a room with common toilet /bathroom.
2.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 15,000/- के पे बैंड से अधिक परन्तु रु. 67,000/-से कम अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band of Rs. 15000/- and above but below Rs. 67000/- per month or the equivalent pay in the pre-revised scale.	एक कमरे में दो बेड तथा संलग्न टायलेट/बाथरूम Two beds in a room with attached toilet/bathroom.
3.	ऐसे कर्मचारी जो रु. 67,000/- के पे बैंड में या इससे अधिक अथवा संशोधन पूर्व वेतनमान में इसके समान वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हों। Employees drawing pay in the pay band Rs. 67000/- per month and above or equivalent pay in the pre-revised scale.	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक बेड वाला एसी आवास तथा संलग्न टायलेट/बाथरूम Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet / bathroom

दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए अस्पताल आवास का पुनर्वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

Re-classification of Hospital accommodation for employees retired prior to 1.1.2006 is as follows: -

क्र. सं. Sl.No.	कर्मचारियों की श्रेणी Category of Employees	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (ओएस) तथा इसके ऊपर Scientific officers (OS) and above.	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार एक बेड वाला एसी आवास तथा संलग्न टायलेट/बाथरूम Single bed AC accommodation as per the availability in the referral hospital with attached toilet /bathroom.
2.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व वेतनमान में रु.8000/- का मूल वेतन या उससे अधिक वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते थे Employees retired with basic pay in the pre-revised scale of Rs. 8000/- and above per month	एक कमरे में दो बेड तथा संलग्न टायलेट/बाथरूम Two beds in a room with attached toilet/bathroom.
3.	ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो संशोधन पूर्व वेतनमान में रु.8000/- का मूल वेतन या उससे कम वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते थे Employees retired with basic pay in the pre-revised scale below Rs. 8000/- per month.	एक कमरे में चार बेड तथा कॉमन टायलेट/बाथरूम Four beds in a room with common toilet / bathroom.

अस्पताल आवास की हकदारी से संबंधित अन्य सभी प्रावधान सीएचएसएस के दिनांक 22.1.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/55/94/सीएचएसएस/आईआरएंडडब्ल्यू/37 के अनुलग्नक-1 के अनुसार होंगे।

All other provisions regarding entitlement of Hospital accommodation are as indicated in Annexure-I of the Contributory Health Services Scheme circulated vide OM No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.1.1998.

(वी. गोविंदनकुट्टी V. Govindankutty)  
अवर सचिव Under Secretary

26/03/2010

- सभी सीएचएसएस प्रशासकीय प्राधिकारी  
All CHSS Administering Authorities
- सभी इकाइयों के अध्यक्ष  
All Heads of Units